



भारतीय सेना में शामिल हों
एनसीसी विशेष प्रवेश योजना 125^{वां} कोर्स (अप्रैल 2027):
महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन (एनटी)
(युद्ध में हताहत हुए सेना कर्मियों के बच्चों सहित)
हाईलाईट्स



(नीचे दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जागरुकता के लिए है)
www.joinindianarmy.nic.in पर प्रकाशित कोर्स नोटिफिकेशन देखें

वर्ग	विवरण	अधिसूचना पैराग्राफ संख्या
प्रविष्टि का प्रकार	एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम – 125 कोर्स (अप्रैल 2027) शॉर्ट सर्विस कमीशन (एनटी) महिला (युद्ध में हताहत हुए सेना कर्मियों के बच्चे सहित)	पैरा 1
आयु के लिए खुला	01 जनवरी 2027 को 19 से 25 वर्ष	पैरा 2(बी)
शैक्षणिक योग्यता	अविवाहित महिला (स्नातक)	पैरा 1
रिक्तियां	स्नातक डिग्री और न्यूनतम एनसीसी की 'सी' सर्टिफिकेट परीक्षा में 'बी' ग्रेड	पैरा 2(सी)
चयन प्रक्रिया	05 + 01 * *युद्ध हताहतों के बच्चे	पैरा 3
शॉर्टलिस्टिंग (बोनस मार्क्स के आधार पर)	एप्लीकेशन > शॉर्टलिस्टिंग > SSB > मेडिकल > मेरिट लिस्ट > जॉइनिंग लेटर	पैरा 10
SSB के लिए संभावित समय और तारीखें	सितंबर 2026 के पहले हफ्ते में	पैरा 10
चिकित्सा मानक	नवंबर / दिसंबर 2026 में अधिकतम पांच दिन का SSB (SSB सेंटर और तारीखों के लिए चॉइस) Sep 2026 में 14 दिनों के लिए खुला रहेगा)	पैरा 10(सी)
प्री कमीशन ट्रेनिंग अकादमी	www.joinindianarmy.nic.in पर दिया गया है	पैरा 11
प्रशिक्षण की अवधि	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई	पैरा 13 और 5(डी)
प्रशिक्षण के दौरान वजीफा	अप्रैल 2027 से 49 हफ्ते	पैरा 5
प्रशिक्षण के बाद रैंक	56,100 रुपये प्रति माह	पैरा 7(एफ)
कमीशनिंग पर वेतन	लेफ्टिनेंट	पैरा 7(ए)
कमीशन का प्रकार	CTC लगभग 17-18 लाख प्रति वर्ष (फ्री मेडिकल कवर और साल में एक बार होम टाउन की यात्रा को छोड़कर)	पैरा 7(डी)
रिलीज़ का विकल्प	लघु सेवा आयोग	पैरा 4(ए)
स्थायी कमीशन का विकल्प	प्रथम – सेवा के 05 ^{वें} वर्ष के बाद दूसरा – सेवा के 10 ^{वें} वर्ष के बाद तीसरा – सेवा के 14 ^{वें} वर्ष के बाद	पैरा 4(ए)
कमीशन के लिए प्राथमिक हथियार / सेवा	10 साल बाद	पैरा 4(ए)
रिलीज़ लाभ	आईए के सभी हथियार और सेवाएँ	पैरा 6
	रिलीज़ सर्विस के आधार पर	-



भारतीय सेना में शामिल हों
एनसीसी विशेष प्रवेश योजना 125^{वां} कोर्स (अप्रैल 2027) :
महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन (एनटी) [एसएससीडब्ल्यू (एनसीसी)-125]
(युद्ध में हताहत हुए सेना कर्मियों के बच्चों सहित)



1. भारतीय सेना में एनसीसी विशेष प्रवेश के रूप में लघु सेवा कमीशन (गैर तकनीकी) के अनुदान के लिए **अविवाहित महिलाओं (भारतीय सेना कार्मिक के युद्ध हताहतों के वार्ड सहित)** से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. पात्रता .

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार को या तो (i) भारत का नागरिक होना चाहिए, या (ii) नेपाल की प्रजा होनी चाहिए, या (iii) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे और इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पलायन कर गया हो, बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii) और (iii) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति हो जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। हालांकि, नेपाल के गोरखा नागरिकों के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु सीमा: नेशनल कैडेट कोर (NCC) के उम्मीदवारों के लिए (युद्ध में हताहत हुए बच्चों सहित) 01 जनवरी 2027 को 19 से 25 साल (जन्म 02 जनवरी 2002 से पहले और 01 जनवरी 2008 के बाद का न हो, दोनों तारीखें शामिल हैं)।

नोट : कैंडिडेट्स ध्यान दें कि मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या उसके बराबर के सर्टिफिकेट में एप्लीकेशन जमा करने की तारीख पर लिखी जन्मतिथि ही मानी जाएगी और बाद में इसे बदलने की कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी या मंजूर नहीं की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वे केवल एक ही सर्विसेज़ सेलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, या तो एसएससीडब्ल्यू (एनटी) (महिलाएं)-125 कोर्स (अप्रैल 2027) के लिए CDSE उम्मीदवार के रूप में या NCC (विशेष) एंटी-125 कोर्स (महिलाएं) (अप्रैल 2027) के लिए। उम्मीदवारों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन में डिक्लेरेशन भाग के तहत शपथ देनी होगी।

(ग) शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य मानदंड :

(i) NCC 'C' सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए:

(अअ) शैक्षिक योग्यता: स्वीकार्य न्यूनतम योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन। फाइनल ईयर में पढ़ रहे एप्लिकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वे कोर्स शुरू होने से पहले ग्रेजुएशन डिग्री पूरी कर लें। ऐसे कैंडिडेट के लिए, तीन/चार साल के डिग्री कोर्स के पहले दो/तीन सालों में स्कोर किए गए कुल % को शॉर्टलिस्टिंग के लिए माना जाएगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि एंटी के लिए अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट डिग्री होना एक क्वालिफिकेशन है और SSB के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए यह क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। इंडियन आर्मी के पास अलग-अलग फिल्टर के आधार पर वैकेंसी से कॉल अप रेश्यो लागू करके SSB के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार है, जैसा ज़रूरी समझा जाए (ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का पैरा 10(क) देखें)।

(अब) **एनसीसी में सेवा :** एनसीसी के सीनियर डिवीजन/विंग में कम से कम दो/तीन साल (जैसा लागू हो) सेवा की हो।

(अस) **ग्रेडिंग:** NCC के 'C' सर्टिफिकेट एग्जाम में कम से कम 'B' ग्रेड मिला हो। जिन एप्लिकेंट्स के पास एप्लीकेशन की तारीख पर NCC 'C' सर्टिफिकेट या प्रोविजनल NCC 'C' सर्टिफिकेट नहीं है, वे कोर्स के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास एप्लीकेशन की तारीख पर प्रोविजनल NCC 'C' सर्टिफिकेट है, उन्हें SSB में आने से पहले NCC 'C' सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। SSB में प्रोविजनल NCC 'C' सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।

नोट 1: डिग्री पाठ्यक्रम के योग्य स्नातक उम्मीदवारों के लिए: स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवारों को भर्ती महानिदेशालय को **01 अप्रैल 2027** तक प्रोविजनल/डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट 2: डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों के लिए: स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों को, यदि उनके पास अनंतिम/डिग्री प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें 1 अप्रैल 2027 तक भर्ती महानिदेशालय को स्नातक डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक डिग्री प्रमाण पत्र/अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उन्हें केवल अतिरिक्त बांड के आधार पर भर्ती किया जाएगा, बशर्ते वे उपरोक्त निर्धारित तिथि तक भर्ती महानिदेशालय को स्नातक डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट जमा कर दें।

नोट 3. सभी अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार जिनके अंतिम वर्ष / अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा **01 अप्रैल 2027 के बाद निर्धारित की जाएगी, वे इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।**

नोट 4. जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन डिग्री की परीक्षा पास नहीं की है, वे तभी एलिजिबल होंगे जब वे डिग्री परीक्षा के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हों। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फाइनल ईयर की डिग्री परीक्षा पास नहीं की है और उन्हें SSB में बैठने की इजाज़त है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि यह सिर्फ़ उन्हें दी गई एक खास छूट है। उन्हें ऊपर बताई गई तारीख तक ग्रेजुएशन डिग्री परीक्षा पास करने का प्रूफ़ और ग्रेजुएशन डिग्री परीक्षा की सभी मार्कशीट जमा करनी होंगी और बेसिक क्वालिफाइंग यूनिवर्सिटी परीक्षा के देर से होने, रिज़ल्ट की घोषणा में देरी या किसी भी दूसरे आधार पर इस तारीख को बढ़ाने की कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी।

(ii) **भारतीय सेना कार्मिक के युद्ध हताहतों के आश्रितों के लिए :**

(अअ) **एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया:** युद्ध हताहतों के आश्रित के तहत वैकेंसी आर्मी वॉर्ट्स कैजुअल्टीज़ के वॉर्ट्स (बिना शादी किए बेटे और बिना शादी की बेटियां, जिनमें कानूनी तौर पर गोद ली हुई बेटियां भी शामिल हैं) के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें इस तरह बताया गया है:-

(अआ) कार्रवाई में मारा गया।

(अइ) घाव या चोटों से मृत्यु (खुद को लगी चोटों के अलावा)।

(अई) घायल या घायल (खुद को लगी चोट के अलावा)।

(अण) लापता, मृत मान लिया गया।

(अब) शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम स्वीकार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता है। अंतिम वर्ष में अध्ययनरत आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पहले स्नातक डिग्री प्राप्त कर लें। ऐसे उम्मीदवारों के लिए, तीन/चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के पहले दो/तीन वर्षों में प्राप्त कुल प्रतिशत को चयन हेतु विचार किया जाएगा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्नातक डिग्री होना प्रवेश के लिए आवेदन करने की योग्यता है, न कि एसएसबी के लिए चयनित होने की अनिवार्य योग्यता। भारतीय सेना विभिन्न मानदंडों के आधार पर रिक्तियों और भर्ती अनुपात को ध्यान में रखते हुए एसएसबी के लिए उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(अस) बैटल कैजुअल्टी के वार्ड्स के लिए NCC 'C' सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है।

(अद) एप्लीकेशन फॉर्म में दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स

(अअ) 'युद्ध हताहत' जनशक्ति (नीति एवं योजना) निदेशालय (एमपी डीटीई) द्वारा जारी प्रमाणपत्र संख्या यह सर्टिफाई करना कि माता-पिता एक्शन में मारे गए/घायल हुए/लापता बताए गए हैं।

नोट :- युद्ध में हताहत संबंधित रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र सितंबर 2013 से पहले के हताहतों के लिए मान्य है। सितंबर 2013 के बाद के हताहतों के लिए, युद्ध हताहत प्रमाण पत्र एडजुटेंट जनरल की शाखा जनशक्ति (नीति और योजना) -5 (डी) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

(अआ) मैनपावर (पॉलिसी और प्लानिंग) डायरेक्टरेट (MP Dte)/संबंधित रेजिमेंटल रिकॉर्ड्स पार्ट II ऑर्डर नंबर की एक कॉपी, जिसमें चोटों की जानकारी दी गई हो और उन्हें 'बैटल कैजुअल्टी' के तौर पर क्लासिफाई किया गया हो।

(अइ) जनशक्ति (नीति और योजना) निदेशालय 5 और 6 / संबंधित रेजिमेंटल रिकॉर्ड द्वारा जारी **संबंध प्रमाण पत्र संख्या**।

टिप्पणी : लड़ाई में घायल हुए सैनिकों के बच्चों को नीचे दिए गए पैराग्राफ 9 (ख) में बताए गए डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होंगी। हालांकि, उन्हें SSB इंटरव्यू के समय सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रूप में लाने होंगे। अधूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्शन सेंटर तुरंत रिजेक्ट कर देगा और इस बारे में किसी भी रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या उसका जवाब नहीं दिया जाएगा।

3. रिक्तियां.

(ए) **एनसीसी महिला 06** (05 सामान्य श्रेणी के लिए और 01 केवल भारतीय सेना के कार्मिकों के युद्ध हताहतों के आश्रितों के लिए)।

नोट: इंडियन आर्मी हर एंट्री के साथ-साथ हर जेंडर (पुरुष और महिला) के लिए अलग-अलग वैकेंसी पब्लिश/नोटिफाई करती है, जो फ़ोर्स की ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों पर आधारित होती है, जैसा कि अभी और भविष्य के हालात में सोचा गया है। एप्लीकेशन का प्रोसेस, SSB शॉर्टलिस्टिंग (कट-ऑफ़), हर एंट्री और हर जेंडर (पुरुष और महिला) का सिलेक्शन और मेरिट अलग-अलग है और इससे जुड़ा या डिपेंडेंट नहीं है। यह पूरी तरह से नोटिफाई की गई वैकेंसी पर आधारित है और खास कोर्स के लिए नोटिफिकेशन के तहत मिले एप्लीकेशन से चलता है।

4. सेवा की शर्तें और नियम.

(क) **नियुक्ति की अवधि.** अधिकारी (महिला) दस वर्ष तक सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, दस वर्ष की सेवा की अवधि को चार साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते वे इसके लिए विकल्प चुनें और समय-समय पर जारी की गई नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवा विस्तार के लिए योग्य और उपयुक्त पाए जाएं। जो अधिकारी स्थायी कमीशन (पीसी) प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें समय-समय पर जारी की गई नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पात्रता और उपयुक्तता के अनुसार सेवा के 10^{वें} वर्ष में इसके लिए विचार किया जा सकता है। जो अधिकारी (महिला) पीसी चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिया जाता है, वे सेवा विस्तार का विकल्प चुन सकते हैं। समय-समय पर जारी की गई नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवा विस्तार के लिए योग्य और उपयुक्त पाए जाने वाले अधिकारियों को चार साल की अवधि के लिए विस्तार दिया जा सकता है, जिसकी समाप्ति पर उन्हें सेना से मुक्त कर दिया जाएगा।

(अ) **5^{वां} वर्ष की सेवा पूरी होने पर रिलीज के लिए विशेष प्रावधान:** एसएससीओ (महिला अधिकारी), उनके अलावा जिन्होंने इस तरह का कोई अन्य विशेष पाठ्यक्रम किया है या कर रहे हैं, जो पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवा छोड़ना चाहते हैं, सेवा के पांचवें वर्ष के दौरान रिलीज के लिए सेना मुख्यालय में आवेदन कर सकते हैं। सेना मुख्यालय ऐसे अधिकारियों के आवेदनों पर योग्यता के आधार पर विचार करेगा और सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन के बाद ऐसे अधिकारियों को सेवा के 5^{वें} वर्ष पूरा होने पर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। वे एसएससीओ (महिला अधिकारी) जिन्होंने इस तरह का कोई अन्य विशेष पाठ्यक्रम किया है या कर रहे हैं, उन्हें 14 साल की पूरी अवधि समाप्त होने से पहले तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उनसे निर्धारित ऐसे विशेष पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की लागत वसूल नहीं की जाती।

(ब) **विस्तारित कार्यकाल के दौरान विशेष प्रावधान :** बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान, उन्हें इन वजहों से सेना से रिलीज लेने की इजाजत होगी :-

(i) सिविल नौकरी करना।

(ii) उच्च शिक्षा प्राप्त करना।

(iii) अपना बिज़नेस शुरू करना/पारिवारिक बिज़नेस में शामिल होना।

(ख) **प्रोबेशन अवधि :** एक ऑफिसर को कमीशन मिलने की तारीख से छह महीने के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा। अगर प्रोबेशन पीरियड के अंदर यह रिपोर्ट किया जाता है कि वह अपना कमीशन बनाए रखने के लिए सही नहीं है, तो उसकी सर्विस प्रोबेशन पीरियड खत्म होने से पहले या बाद में कभी भी खत्म की जा सकती है।

(ग) **पूर्व तिथि वरिष्ठता.** कोई पूर्व तिथि वरिष्ठता प्रदान नहीं की जाएगी.

(घ) **कमीशन की समाप्ति ।** शॉर्ट सर्विस कमीशन पाने वाले अधिकारी को दस साल तक सेवा करनी होगी, लेकिन भारत सरकार किसी भी समय उसका कमीशन खत्म कर सकती है:-

- (i) कदाचार या यदि उसकी सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं, या
- (ii) चिकित्सीय अयोग्यता के कारण , या
- (iii) यदि उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, या
- (iv) अगर वह किसी तय टेस्ट या कोर्स में पास नहीं हो पाती है।

(v) किसी अधिकारी को तीन महीने का नोटिस देकर अनुकंपा के आधार पर अपने कमीशन से इस्तीफा देने की इजाज़त दी जा सकती है, जिसके लिए भारत सरकार अकेली ज़िम्मेदार होगी। जिस अधिकारी को अनुकंपा के आधार पर अपने कमीशन से इस्तीफा देने की इजाज़त दी जाती है, वह टर्मिनल ग्रेजुएट के लिए योग्य नहीं होगी।

(च) आरक्षित देयता. शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस की अवधि खत्म होने से पहले या उससे पहले रिलीज़ होते हैं, उन्हें इंडियन आर्मी में पांच साल और दो साल वॉलंटरी बेसिस पर या 37 साल की उम्र तक जो भी पहले हो, सेवा करने की रिज़र्व ज़िम्मेदारी होगी,।

5. प्रशिक्षण. ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), चेन्नई में ट्रेनिंग का समय 49 हफ्ते है।

(a) ट्रेनिंग एकेडमी जॉइन करने से पहले कैंडिडेट को जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हासिल करने होंगे, वे इस तरह हैं :-

क्रमांक	गतिविधि	न्यूनतम शारीरिक मानक
		अधिकारी कैडेट (महिला)
(i)	2.4 किमी दौड़	13 मिनट
(ii)	पुश अप	15
(iii)	पुल-अप) Pull-up)	02
(iv)	उठक-बैठक	25
(v)	स्क्राट	30 दोहराव के दो सेट
(vi)	लंजेस	10 दोहराव के दो सेट
(vii)	तैरना	तैराकी की बुनियादी बातें पता होनी चाहिए

(ख) चुने गए कैंडिडेट्स को OTA, चेन्नई में प्री-कमीशन ट्रेनिंग के लिए फाइनल मेरिट ऑर्डर में उनकी पोजीशन के हिसाब से भेजा जाएगा, जो उपलब्ध वैकेंसी की संख्या तक होगा, बशर्ते वे सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करें।

(ग) कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान न तो शादी करने की इजाज़त होगी और न ही उन्हें माता-पिता/गार्जियन के साथ रहने की इजाज़त होगी। कैंडिडेट्स को OTA में पूरी ट्रेनिंग पूरी होने तक शादी नहीं करनी चाहिए। जो कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन की तारीख के बाद शादी करता है, भले ही वह SSB इंटरव्यू या मेडिकल एग्जाम में सफल हो, उसे ट्रेनिंग के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग के दौरान शादी करता है, तो उसे हटा दिया जाएगा और सरकार को उस पर हुए सभी खर्च वापस करने होंगे। यह आर्मी के जवानों के बैटल कैजुअल्टी के बच्चों पर भी लागू होता है।

(घ) OTA, चेन्नई में प्री-कमीशन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वाले सभी उम्मीदवारों को मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा 'डिफेंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा' दिया जाएगा।

(च) ट्रेनिंग का खर्च: OTA में ट्रेनिंग का पूरा खर्च सरकारी खर्च पर होगा। अगर ऑफिसर कैडेट को मेडिकल ग्राउंड के अलावा किसी और वजह से या ऐसे कारणों से ट्रेनिंग एकेडमी से हटाया जाता है जो उसके कंट्रोल से बाहर न हों, तो उसे ट्रेनिंग का खर्च ₹ 20,482/- प्रति हफ्ते (2026 तक) और समय-समय पर बताए गए तरीके से (ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई/कैडेट ट्रेनिंग विंग में कैंडिडेट के रहने के समय के लिए) वापस करना होगा। ट्रेनिंग का खर्च राज्य उठाएगा, लेकिन जो कैडेट पर्सनल वजहों से हट रहे हैं, उनसे यह वसूला जाएगा।

6. OTA से जेंटलमैन/लेडी कैडेट्स के पासिंग आउट से पहले आर्म्स/सर्विसेज़ का फ़ाइनल एलोकेशन किया जाएगा।

7. पदोन्नति मानदंड और वेतन संरचना ।

(ए) पदोन्नति मानदंड .

रैंक	पदोन्नति मानदंड
लेफ्टिनेंट	कमीशन पर
कप्तान	2 साल की रेकनेबल कमीशनड सर्विस पूरी होने पर।
मेजर	6 साल की रेकनेबल कमीशनड सर्विस पूरी होने पर।
लेफ्टेनंट कर्नल	13 साल की रेकनेबल कमीशनड सर्विस पूरी होने पर।
कर्नल (टीएस)	26 साल की रेकनेबल कमीशनड सर्विस पूरी होने पर।
कर्नल	ज़रूरी सर्विस शर्तों को पूरा करने पर सिलेक्शन के आधार पर
ब्रिगेडियर	
महा सेनापति	
लेफ्टिनेंट जनरल/एचएजी स्केल	
एचएजी + स्केल (*लेफ्टिनेंट जनरल की कुल संख्या के 1/3 के लिए मान्य)	
VCOAS/आर्मी कमांडर/लेफ्टिनेंट जनरल (NFSG)	
थलसेनाध्यक्ष	

(ख) **सीनियरिटी का एडजस्टमेंट:** PC ऑफिसर्स के मुकाबले SSCOs की छोटी ट्रेनिंग के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए, SSCOs की सीनियरिटी को, जिस SSC कोर्स पर विचार किया जा रहा है और उसके बराबर PC कोर्स के ट्रेनिंग पीरियड के बीच के अंतर के हिसाब से कम कर दिया जाएगा। सीनियरिटी का यह एडजस्टमेंट कैप्टन का पहला सब्सटैंटिव रैंक देते समय किया जाएगा।

(ग) **काउंटेबल कमीशनड सर्विस:** ऊपर पैरा 7 (ख) के प्रोविज़न के तहत, इन ऑर्डर्स के मकसद के लिए रेकनेबल कमीशनड सर्विस, ऑफिसर को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिए जाने की तारीख से गिनी जाएगी। कोर्ट मार्शल की सज़ा या आर्मी एक्ट के तहत किसी समरी अवॉर्ड से ज़ब्त की गई सर्विस का समय और बिना छुट्टी के गैर-मौजूदगी का समय नहीं गिना जाएगा। वह समय जिसके दौरान फर्लो रेट्स ऑफ़ पे लिया जाता है और POWs रेट्स ऑफ़ पे पर कैद का समय गिना जाएगा। बिना पे की छुट्टी दिए जाने की वजह से किसी ऑफिसर द्वारा प्रमोशन के लिए खोई गई सर्विस का समय भी गिना जाएगा। हालांकि, ऐसा ऑफिसर इस समय को शामिल करके दिए गए हायर सब्सटैंटिव रैंक के वेतन और भत्तों का हकदार सिर्फ़ उस तारीख से होगा जिस तारीख को वह सर्विस के लिए क्वालिफ़ाई करता अगर यह समय इस तरह नहीं गिना जाता, न कि सब्सटैंटिव रैंक दिए जाने की तारीख से।

(घ) वेतन ।

रैंक	स्तर	(₹ में भुगतान करें)
लेफ्टिनेंट	स्तर 10	56,100 - 1,77,500
कप्तान	स्तर 10बी	61,300 - 1,93,900
मेजर	स्तर 11	69,400 - 2,07,200
लेफ्टेनंट कर्नल	स्तर 12ए	1,21,200 - 2,12,400
कर्नल	स्तर 13	1,30,600 - 2,15,900
ब्रिगेडियर	स्तर 13ए	1,39,600 - 2,17,600
महा सेनापति	स्तर 14	1,44,200 - 2,18,200
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल	स्तर 15	1,82,200 - 2,24,100
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी+स्केल	स्तर 16	2,05,400 - 2,24,400
VCOAS/सेना कमांडर/लेफ्टिनेंट जनरल (NFSG)	स्तर 17	2,25,000/-(निर्धारित)
थलसेनाध्यक्ष	स्तर 18	2,50,000/-(निर्धारित)

(च) **सैनिक सेवा भत्ता (MSP):** लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के लिए MSP ₹ 15,500/- प्रति माह फिक्स।

(छ) कैडेट प्रशिक्षण के लिए निश्चित वजीफा

प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान अर्थात् ओटीए में प्रशिक्षण अवधि के दौरान सज्जनों या महिला कैडेटों को वजीफा	₹ 56,100/- प्रतिमाह*
--	----------------------

* सफल कमीशनिंग पर, कमीशन प्राप्त ऑफिसर की पे मैट्रिक्स में सैलरी लेवल 10 के पहले सेल में तय की जाएगी और ट्रेनिंग के समय को कमीशन सर्विस नहीं माना जाएगा और ट्रेनिंग के समय के लिए लागू अलाउंस का एरियर कैडेट्स को दिया जाएगा।

(ज) # अन्य भत्ते

महंगाई भत्ता	उन्हीं रेट और उन्हीं शर्तों पर मंजूर है जो समय-समय पर सिविलियन कर्मचारियों पर लागू होती हैं।
पैरा रिजर्व भत्ता	₹ 2625/- * प्रति माह
तकनीकी भत्ता (टियर-I)	₹ 3000/-प्रतिमाह
तकनीकी भत्ता (टियर-II)	₹ 4500/-प्रतिमाह

(झ) # रैंक और पोस्टिंग एरिया के आधार पर, फील्ड एरिया में पोस्टेड ऑफिसर नीचे दिए गए फील्ड एरिया अलाउंस के लिए एलिजिबल होंगे:-

RH Max Offrs Rs. 42500 * /- सियाचिन भत्ता	HARDSHIP		
	उच्च	मध्यम	कम
उच्च	आर1एच1 Officers- 25000 रुपये* - उड़ान भत्ता - मार्कोस और रथ भत्ता - विशेष बल भत्ता - पनडुब्बी भत्ता - कोबरा भत्ता - अधिक ऊंचाई पर भत्ता-श्रेणी III	आर1एच2 Officers-16900 रुपये* - HAFA भत्ता - सीआई (Fd) भत्ता (CI मॉड एफडी @77% CI एफडी)	आर1एच3 Officers- 5300 रुपये* - अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए) - रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) - टेस्ट पायलट प्रथम इंजीनियर भत्ता
मध्य	आर2एच1 Officers-16900 रुपये*	आर2एच2 Officers -10500 रुपये* - Fd एरिया अलाउंस (मॉड एफडी एरिया @ एफडी एरिया अलाउंस का 60%) - सीआई (शांति) भत्ता - समुद्र जाने का भत्ता - फ्री फॉल जंप इंस्ट्रक्शन अलाउंस - पैरा जंप इंस्ट्र भत्ता - पैरा भत्ता	आर2एच3 1Officers- 3400 रुपये*
निम्न	आर3एच1 Officers- 5300 रुपये* - उच्च ऊंचाई भत्ता-श्रेणी II - कठिन स्थान भत्ता-I - बॉयलर वॉच कीपिंग भत्ता - पनडुब्बी ड्यूटी भत्ता	आर3एच2 Officers- 3400 रुपये* - उच्च ऊंचाई भत्ता-श्रेणी I - कठिन स्थान भत्ता-II - परियोजना भत्ता - प्रतिपूरक (कॉन्स्ट या सर्वेक्षण) भत्ता - हाइड्रो सर्वेक्षण भत्ता (गैर-सर्वेक्षकों को छोड़कर)	आर3एच3 Officers -1200 रुपये* - कठिन स्थान भत्ता-III - खाना पकाने का भत्ता - मुश्किल से पैसा (पूरी दर) - स्वास्थ्य और मलेरिया भत्ता - विशेष एलसी गेट भत्ता - पनडुब्बी तकनीक भत्ता - हाइड्रो सर्वेक्षण भत्ता (सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए)

* हर बार DA में 50% की बढ़ोतरी होने पर अलाउंस की दरें अपने आप 25% बढ़ जाएंगी।

पैरा 7(ज) और 7(झ) में दिए गए ये भत्ते निर्धारित योग्यता/पात्रता शर्तों के अनुसार सख्ती से लागू होते हैं और हर कोई इनके हकदार नहीं है।

- (ट) ड्रेस भत्ता ₹ 20,000/- * प्रति वर्ष।
- (ठ) राशन इन पीस और फील्ड क्षेत्रों में।
- (त) परिवहन भत्ता (टीपीटीए)।

वेतन स्तर	उच्च टीपीटीए शहर (प्रति महीने)	अन्य जगहें (प्रति महीने)
10 और उससे अधिक	₹ 7200+उस पर डीए	₹ 3600+उस पर डीए

टिप्पणी ।

(i) उच्च टीपीटीए शहर (यूए): हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बंगलुरु, कोच्चि, कोझीकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता।

(ii) यह भत्ता उन सैन्यकर्मियों को नहीं मिलेगा जिन्हें सरकारी परिवहन की सुविधा दी गई है।

(iii) पे लेवल 14 और उससे ऊपर के अधिकारी, जो ऑफिशियल कार इस्तेमाल करने के हकदार हैं, उनके पास ऑफिशियल कार सुविधा लेने या ₹15,750+DA की दर से TPTA लेने का ऑप्शन होगा।

(iv) यह भत्ता पूरी तरह से छुट्टी वाले कैलेंडर महीने के लिए नहीं दिया जाएगा।

(v) शारीरिक रूप से अक्षम सैन्य कर्मियों को न्यूनतम ₹ 2,250+ डीए प्रतिमाह की शर्त के अधीन दोगुनी दर से भुगतान किया जाता रहेगा

(द) बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) ₹ 2250 प्रति माह प्रति बच्चे के लिए केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए, जो कक्षा एक से पहले की तीन कक्षाओं से लेकर बारहवीं कक्षा तक हैं।

(i) रीइम्बर्समेंट साल में सिर्फ एक बार, फ़ाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद किया जाना चाहिए (जो ज्यादातर स्कूलों के लिए एकेडमिक ईयर के साथ ही होता है)।

(ii) इस काम के लिए उस इंस्टीट्यूशन के हेड से सर्टिफिकेट काफी होना चाहिए जहाँ सरकारी कर्मचारी का बच्चा पढ़ता है। सर्टिफिकेट से यह कन्फर्म होना चाहिए कि बच्चा पिछले एकेडमिक ईयर में स्कूल में पढ़ा था।

नोट 1. इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए खास अलाउंस के मामले में, इन अलाउंस के रेट हर बार 25% अपने आप बढ़ जाएंगे, जब रिवाइज्ड पे बैंड पर मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा (GoI लेटर नंबर A-27012/02/2017-Estt.(AL) तारीख 16 अगस्त 2017)।

नोट 2. कृपया ध्यान दें कि वेतन और भत्ते तथा उसके नियम/प्रावधान समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

(य) **छात्रावास (होस्टल) सब्सिडी:** ₹6,750/-* प्रति माह प्रति बच्चे की दर से देय होगी। यह सुविधा परिवार के केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध है और कक्षा 1 से पहले की तीन कक्षाओं (पूर्व-प्राथमिक) से लेकर कक्षा 12 तक लागू होगी।

*** हर बार जब DA 50% बढ़ेगा तो अलाउंस की दरें अपने आप 25% बढ़ जाएंगी।**

8. **सेना समूह बीमा निधि (एजीआईएफ).** जब जेंटलमैन/लेडी कैडेट्स को स्टाइपेंड मिलता है, तो उनका बीमा ₹1.25 करोड़ का होता है, जैसा कि रेगुलर आर्मी के ऑफिसर्स के लिए लागू होता है। रेगुलर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए लागू एजीआई स्कीम के तहत मेंबर बनने के लिए जेंटलमैन/लेडी कैडेट्स को ₹ 12,500/- की दर से मंथली एजीआईएफ सब्सक्रिप्शन एडवांस में देना होगा। जिन लोगों को इनवैलिडेटिंग मेडिकल बोर्ड (आईएमबी) द्वारा विकलांगता के कारण इनवैलिडेट कर दिया जाता है और जो किसी भी पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें 100 परसेंट विकलांगता के लिए ₹ 25 लाख दिए जाएंगे। यह 20 परसेंट विकलांगता के लिए प्रोपोर्शनली कम होकर ₹ 5 लाख हो जाएगा। हालांकि, 20 परसेंट से कम विकलांगता के लिए, केवल ₹ 50,000/- का एक्स-ग्रेशिया ग्रांट दिया जाएगा। शराब, ड्रग एडिक्शन और प्री-एनरोलमेंट ओरिजिन की बीमारियों के कारण होने वाली विकलांगता विकलांगता बेनिफिट और एक्स-ग्रेशिया ग्रांट के लिए क्वालिफाई नहीं होगी। इसके अलावा, डिसिप्लिनरी वजहों से निकाले गए, अनचाहे होने पर निकाले गए या अपनी मर्जी से एकेडमी छोड़ने वाले जेंटलमैन/लेडी कैडेट्स डिसेबिलिटी बेनिफिट्स और एक्स-ग्रेशिया के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।

9. आवेदन कैसे करें .

(क) आवेदन केवल www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। 'Officer Entry Application/ Login' पर क्लिक करें और फिर 'Registration' पर क्लिक करें (यदि www.joinindianarmy.nic.in पर पहले से पंजीकृत हैं, तो पंजीकरण आवश्यक नहीं है)। निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें। पंजीकृत होने के बाद, डैशबोर्ड के अंतर्गत 'Apply Online' पर क्लिक करें। एक पेज 'ऑफिसर चयन - 'Eligibility' खुलेगा। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स के सामने दिखाए गए 'Apply' पर क्लिक करें। एक पेज 'Application Form' खुलेगा। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और विभिन्न खंडों के तहत आवश्यक विवरण भरने के लिए 'Continue' पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी, संचार विवरण, शिक्षा विवरण और पिछले एसएसबी का विवरण अपनी सभी डिटेल्स सही होने की पुष्टि करने के बाद ही 'Submit' पर क्लिक करें। कैंडिडेट्स को कोई भी डिटेल्स एडिट करने के लिए हर बार एप्लीकेशन खोलते समय 'Submit' पर क्लिक करना होगा। कैंडिडेट्स को आखिरी दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद होने के 30 मिनट बाद रोल नंबर वाली अपनी एप्लीकेशन की दो कॉपी निकालनी होंगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें ताकि गलतियों से बचा जा सके और आवेदन अस्वीकृत होने से बचा जा सके।

ज़रूरी नोट 1. ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई जानकारी में एप्लीकेशन बंद होने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस बारे में किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

ज़रूरी नोट 2. CGPA /ग्रेड्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन में 'ग्रेजुएशन में मिले मार्क्स' भरने के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी के अपनाए गए फ़ॉर्मूले के हिसाब से मार्क्स में बदलना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर कोई भी गड़बड़ी मिलने पर कैंडिडेट्स कैंसिल कर दिया जाएगा।

ज़रूरी नोट 3. प्रोफ़ाइल और ऑनलाइन एप्लीकेशन में कैंडिडेट का नाम/माता-पिता का नाम (पिता और माता)/जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी बराबर के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। ऊपर दी गई जानकारी में बदलाव होने पर कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाएगा।

(ख) कैंडिडेट्स को सिलेक्शन सेंटर पर नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की **सेल्फ अटेस्टेड कॉपी** के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे:-

मूल प्रमाणपत्रों के स्थान पर डिजीलॉकर प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा

(i) एप्लीकेशन के प्रिंट आउट की एक कॉपी, जिस पर सही तरह से साइन किया हो और सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगा हो।

(ii) मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा सर्टिफिकेट या समकक्ष संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सर्टिफिकेट और मार्कशीट।

नोट 1. मैट्रिकुलेशन /सेकेंडरी स्कूल परीक्षा सर्टिफिकेट या समकक्ष संबंधित शिक्षा बोर्ड से जारी सर्टिफिकेट ही पास होने के सबूत, जन्म की तारीख, कैंडिडेट का नाम और माता-पिता का नाम (पिता और माता) माना जाएगा। कोई और डॉक्यूमेंट जैसे एडमिट कार्ड/मार्कशीट/ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं माने जाएंगे।

नोट 2. ऐसे मामलों में जहां जारी करने वाली अथॉरिटी मैट्रिक पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट को एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट (सर्टिफिकेट-कम-मार्कशीट) के तौर पर जारी करती है और उसमें जन्म की तारीख लिखी होती है, तो उसे पासिंग, जन्म की तारीख, कैंडिडेट का नाम और माता-पिता का नाम (पिता और माता) के सबूत के तौर पर माना जाएगा। हालांकि, जहां जारी करने वाली अथॉरिटी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग-अलग जारी करती है, वहां पासिंग सर्टिफिकेट जमा करना पासिंग और जन्म की तारीख के सबूत के तौर पर ज़रूरी होगा।

नोट 3. अगर मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या उसके बराबर के सर्टिफिकेट में माता-पिता का नाम (पिता और माता) नहीं है, तो कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार का जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे PAN कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिखाना होगा। हालांकि, ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरा गया कैंडिडेट का नाम और उनके माता-पिता का नाम, दिखाए गए डॉक्यूमेंट में दिए गए नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

(iii) 12^{वीं} कक्षा का प्रमाण पत्र और अंक पत्र।

(iv) स्नातक डिग्री/ प्रोविजनल डिग्री किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जारी किया गया हो। प्रोविजनल डिग्री **01 अप्रैल 2027 को छह महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए (01 अक्टूबर 2026 से 01 अप्रैल 2027 के बीच जारी)।**

(v) सभी वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएँ।

(vi) **NCC 'C' सर्टिफिकेट (NCC 'C' सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख कैंडिडेट के ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की तारीख या उससे पहले की होनी चाहिए)।** वार्ड ऑफ़ बैटल कैजुअल्टीज़ को **NCC 'C' सर्टिफिकेट** की ज़रूरत नहीं है।

(vii) संबंधित यूनिवर्सिटी से CGPA को मार्क्स में बदलने (जहां लागू हो) और कुल प्रतिशत के बारे में सर्टिफिकेट, जिसमें इस बारे में नियम/कन्वर्जन क्राइटेरिया/फॉर्मूला बताया गया हो।

(viii) प्रिंसिपल/इंस्ट्रक्शन के हेड से सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो कि कैंडिडेट फाइनल ईयर में है और उसका रिजल्ट 01 अप्रैल 2027 तक घोषित कर दिया जाएगा (सिर्फ फाइनल ईयर में शामिल कैंडिडेट के लिए)।

(ix) डिग्री कोर्स के आखिरी साल के उम्मीदवार को यह घोषणा करनी होगी कि वह 01 अप्रैल 2027 तक 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ रिक्रूटिंग' को पास होने का सबूत जमा कर देगा; ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(x) युद्ध में हताहतों के आश्रितों को ऊपर उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त पैरा 2 (ग)(ii)(अद) में उल्लेखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

(ग) कोई भी कैंडिडेट जो SSB इंटरव्यू के लिए ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स ORIGINAL में नहीं लाएगा, उसका कैंडिडेटचर कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे वापस भेज दिया जाएगा।

(घ) SSB इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन के लिए सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने होंगे। SSB में वेरिफिकेशन के बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस कर दिए जाएंगे। खुद। DIGILOCKER सर्टिफिकेट को ओरिजिनल के बदले में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(च) ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जगह DIGILOCKER सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्कूल/कॉलेज हार्ड/फिजिकल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है, तो स्कूल/कॉलेज (प्रिंसिपल/रजिस्ट्रार) से एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें लिखा हो कि DIGILOCKER के ज़रिए सिर्फ ई-सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और कोई हार्ड कॉपी नहीं दी गई है। ऐसे मामलों में, कैंडिडेट को ई-सर्टिफिकेट का कलर प्रिंटआउट दिखाना होगा, जिसे संबंधित स्कूल/कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सही तरह से ऑथेंटिकेट किया गया हो।

(छ) ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रिंटआउट की दूसरी कॉपी कैंडिडेट को रेफरेंस के लिए रखनी होगी। डायरेक्टरेट जनरल को कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है।

(ज) कैंडिडेट्स को सिर्फ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होगी। एक ही कैंडिडेट से कई एप्लीकेशन मिलने पर कैंडिडेटचर कैंसिल कर दिया जाएगा, और इस बारे में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाएगा।

(झ) इंडियन आर्म्ड फोर्स में काम करने वाले कैंडिडेट्स को अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखकर बताना होगा कि उन्होंने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। आर्म्ड फोर्स में काम करने वाले कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन, कमांडिंग ऑफिसर से सही तरह से काउंटरसाइन किए हुए, ऊपर बताए गए सभी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ SSB इंटरव्यू में ले जाने चाहिए, जब भी उन्हें बुलाया जाए।

10. सिलेक्शन प्रोसेस: सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह है:-

(क) एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्टिंग। SSB के लिए एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्टिंग 'NCC 'C' सर्टिफिकेट में परफॉर्मेंस और 'ग्रेड मार्क्स' के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 मार्क्स में से बोनस मार्क्स देकर की जाएगी। डिटेल्स नीचे दी गई हैं:-

(i) NCC 'C' सर्टिफिकेट में परफॉर्मेंस के लिए बोनस मार्क्स: NCC 'C' सर्टिफिकेट में परफॉर्मेंस के लिए मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जाएंगे, जो इस तरह हैं:-

एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट में ए ग्रेड-	50 अंक
एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट में बी ग्रेड -	25 अंक

(ii) **स्नातक में प्रदर्शन के लिए बोनस अंक**

ज़्यादा से ज़्यादा 50 मार्क्स एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी ग्रेजुएशन में कुल एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर दिए जाएंगे। तीन या चार साल के डिग्री कोर्स के पहले दो या तीन सालों में मिले कुल मार्क्स (प्रतिशत) पर विचार किया जाएगा। बोनस मार्क्स इस प्रकार दिए जाएंगे:-

60% तक	- शून्य
60.00 से 64.99%	-05 अंक
65.00 से 69.99%	-10 अंक
70.00 से 74.99%	-20 अंक
75.00 से 79.99%	-30 अंक
80.00 से 84.99%	-40 अंक
85.00 से 100.00	-50 अंक

जैसे 1 कैंडिडेट जिसके ग्रेजुएशन में 78% नंबर हैं लेकिन NCC C सर्टिफिकेट में 'B' ग्रेडिंग है, उसे $30 + 25 = 55$ बोनस मार्क्स दिए जाएंगे।

जैसे 2 कैंडिडेट जिनके ग्रेजुएशन में 72% नंबर हैं लेकिन NCC C सर्टिफिकेट में 'A' ग्रेडिंग है, उन्हें $20 + 50 = 70$ बोनस मार्क्स दिए जाएंगे।

नोट 1 ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पढ़ रहे कैंडिडेट ध्यान दें कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मिले कुल मार्क्स (%) डिग्री कोर्स के पहले दो/तीन सालों में मिले मार्क्स के बराबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए, यानी एप्लीकेशन के समय इस्तेमाल किए गए मार्क्स से। ऐसा न करने पर उनका कैंडिडेटचर कैंसल कर दिया जाएगा।

(iii) **वैकेंसी से कॉल अप रेश्यो:** ऊपर पैरा (i) और (ii) में दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार बोनस मार्क्स देने के बाद एक मेरिट तैयार की जाएगी। फिर कैंडिडेट्स को वैकेंसी से SSB कॉल अप रेश्यो के आधार पर SSB के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसे Rtg के Dte Gen ऑर्गनाइज़ेशनल ज़रूरत के हिसाब से तय करेंगे। SSB के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को मेल से बताया जाएगा। जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।

नोट 2 शॉर्टलिस्टिंग का ऊपर दिया गया प्रोसेस पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग होगा, जो नोटिफाइड वैकेंसी और मिले हुए एप्लीकेशन के अनुसार होगा।

(ख) **SSB सेंटर और तारीख चुनना:** एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्टिंग के बाद, कैंडिडेट्स को वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और अपना SSB सेंटर और तारीख चुननी होगी, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध हैं। एक बार SSB सेंटर और तारीख चुनने के बाद, उन्हें बाद में बदला नहीं जाएगा। **किसी खास हालात/घटना की वजह से कैंडिडेट्स का SSB सेंटर और SSB तारीख चुनने का ऑप्शन खत्म हो सकता है।** प्रबंध-विभाग भर्ती महानिदेशालय, एकीकृत रक्षा मंत्रालय (आर्मी) का हेडक्वार्टर SSB सेंटर और तारीख चुनने के बाद उसे बदलने का अधिकार रखता है।

(ग) **SSB का आयोजन:** सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए योग्य उम्मीदवारों का ही प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), बेंगलुरु (कर्नाटक) और जालंधर (पंजाब) के सिलेक्शन सेंटर पर **SSB** होगा। **SSB** इंटरव्यू के लिए कॉल-अप लेटर संबंधित सिलेक्शन सेंटर की ओर से उम्मीदवारों की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और **SMS** पर ही भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को दो चरणों वाली सिलेक्शन प्रक्रिया से गुज़रना होगा। जो उम्मीदवार स्टेज I पास कर लेंगे, वे स्टेज II में जाएंगे। जो स्टेज I में फेल हो जाएंगे, उन्हें उसी दिन यानी पहले दिन ही वापस भेज दिया जाएगा। **SSB** इंटरव्यू पांच दिन का होता है और इसकी जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ रिक्रूटिंग की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। स्टेज II के बाद चुने गए उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा।

(घ) **प्री-कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी (PCTA) में शामिल होना:** **SSB** द्वारा चुने गए और मेडिकल रूप से फिट पाए गए उम्मीदवारों को, सभी ज़रूरी योग्यताएँ पूरी करने और उपलब्ध वैकेंसी की संख्या के आधार पर, मेरिट क्रम में ट्रेनिंग के लिए जॉइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार ने गलत जानकारी या सर्टिफिकेट दिया है या ज़रूरी जानकारी नहीं बताई है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। **PCTA** में शामिल होने के लिए 'FIT' पाए जाने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार जॉइनिंग लेटर की मांग कर सकता है; यह संगठन की ज़रूरतों के अनुसार भर्ती महानिदेशालय के फ़ैसले पर निर्भर करता है।

11. **मेडिकल जांच:** आर्मी में ऑफिसर्स की एंट्री के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल जांच की प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं। **SSB** मेडिकल जांच की वैलिडिटी 270 दिन होती है, यानी **SMB** से लेकर **PCTA** जॉइनिंग की तारीख तक। अगर किसी कैंडिडेट ने किसी भी सर्विस के **SSB** के लिए मेडिकल जांच (**SMB/AMB/RMB**) करवाई है और उसे 'मेडिकल फिट' (**Med FIT**) घोषित किया गया है, तो उसे **SSCW(NCC)-125** के **SSB** के बाद दोबारा मेडिकल जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते, पहले मेडिकल (**SMB**) की तारीख से इस कोर्स को जॉइन करने की तारीख (यानी 01 अप्रैल 2027) के बीच का समय 270 दिन से कम हो।

नोट: मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई गोपनीय है और किसी को नहीं बताई जाएगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ रिक्रूटिंग का किसी भी मेडिकल बोर्ड में कोई रोल नहीं है और मेडिकल अधिकारियों द्वारा बताए गए प्रोसेस का सख्ती से पालन किया जाएगा।

12. **ट्रैवलिंग अलाउंस पात्रता:** किसी खास तरह के कमीशन के लिए पहली बार **SSB** इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट को भारतीय ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर AC 3-टियर (आने-जाने का) रेलवे किराया या बस किराया, जिसमें रिज़र्वेशन-कम-स्लीपर चार्ज शामिल है, मिलेगा। जो कैंडिडेट उसी तरह के कमीशन के लिए दोबारा आते हैं, उन्हें बाद में किसी भी मौके पर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। **ट्रैवलिंग अलाउंस की मंजूरी या पेमेंट के बारे में किसी भी सवाल/क्लैरिफिकेशन के लिए, कैंडिडेट सीधे संबंधित सिलेक्शन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।**

13. **मेरिट लिस्ट:** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **SSB** इंटरव्यू में सिर्फ कालिफ़ाई करने से फ़ाइनल सिलेक्शन कन्फ़र्म नहीं होता है। मेरिट लिस्ट **SSB** इंटरव्यू में कैंडिडेट के मिले नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट के **SSB** नंबर बराबर होते हैं, तो ज़्यादा उम्र वाले कैंडिडेट को मेरिट में ऊपर रैंक दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट के **SSB** नंबर और उम्र दोनों एक जैसे हैं, तो कालिफ़ाइंग एग्जाम में ज़्यादा परसेंटेज वाले कैंडिडेट को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। ज़्यादा एजुकेशनल कालिफ़िकेशन, पिछली परफ़ॉर्मेंस वगैरह का कोई रोल नहीं है। जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं और तय वैकेंसी में आते हैं और मेडिकली फ़िट हैं, उन्हें **OTA**, चेन्नई में प्री-कमीशन ट्रेनिंग के लिए जॉइनिंग लेटर दिए जाएंगे, बशर्ते वे सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हों।

14. जो उम्मीदवार रिपोर्टिंग की तारीख से 07 दिनों के भीतर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और खाली जगह भरने के लिए मेरिट लिस्ट में अगले उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा।

15. इंडियन आर्मी में शामिल होने पर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 33 के अनुसार सर्विस में कुछ पर्सनल पाबंदियां लगाई जाएंगी, जैसा कि आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स में समय-समय पर बताया गया है।

नोट 1. प्रमाण पत्र / दस्तावेजों / ऑनलाइन आवेदन में किसी भी अस्पष्टता / गलत सूचना / सूचना को छिपाने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी चरण में और उसके बाद उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट 2. कैंडिडेट को UPSC की तरफ से किसी भी एग्जाम में बैठने से कभी नहीं रोका गया हो।

नोट 3. कैंडिडेट को कभी भी किसी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अरेस्ट या दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए या वह किसी भी केस में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस या प्री-कमीशन ट्रेनिंग के दौरान ऐसी कोई बात सामने आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (आर्मी) के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर द्वारा कैंडिडेट/कैडेट का कैंडिडेटचर कैसल कर दिया जाएगा/अकादमी से निकाल दिया जाएगा।

नोट 4. अनुशासनात्मक आधार पर एनडीए / आईएमए / ओटीए / नौसेना अकादमी / वायु सेना अकादमी या किसी भी सेवा प्रशिक्षण अकादमी से निकाले गए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

नोट 5. सिलेक्शन सेंटर के अलॉटमेंट, इंटरव्यू की तारीख, मेरिट लिस्ट, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन और किसी भी दूसरी ज़रूरी जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं। सवालों का जवाब सिर्फ 'Feedback/Queries' के ज़रिए दिया जाएगा। यह ऑप्शन रिक्रूटिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नोट 6. कृपया हमारी वेबसाइट पर 'फीडबैक/केरी' में प्रश्न सबमिट करने से पहले नोटिफिकेशन, वेबसाइट पर टिकर्स, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन्स और वेबसाइट पर अपलोड किए गए अन्य इंस्ट्रक्शन्स को अच्छी तरह से पढ़ें।

नोट 7. आखिरी घंटे की भीड़ से बचने और समय पर जवाब पक्का करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद होने से तीन दिन पहले तक मिले सवालों पर ही ध्यान दिया जाएगा / उनका जवाब दिया जाएगा।

नोट 8. इस अधिसूचना के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

**ऑनलाइन आवेदन 21 जुलाई 2026 को 1500 बजे खुलेगा और
21 अगस्त 2026 को 1500 बजे बंद होगा।**

JOIN INDIAN ARMY

NCC SPECIAL ENTRY SCHEME 125 COURSE (APR 2027):
SHORT SERVICE COMMISSION (NT) FOR WOMEN
(INCLUDING WARDS OF BATTLE CASUALTIES OF ARMY PERSONNEL)

**HIGHLIGHTS**

(Information given below is for general awareness only)
(Course Notification published on – www.joinindianarmy.nic.in – should be referred for detailed information about the entry)

Category	Description	Notification Paragraph No
Type of Entry	NCC Special Entry Scheme – 125 th Course (Apr 2027) Short Service Commission (NT) Women (Including Ward of Battle Casualties of Army Personnel)	Para 1
Age	19 to 25 Years as on 01 Jan 2027	Para 2(b)
Open for	Unmarried Female (Graduates)	Para 1
Education Qualification	Graduation Degree and Minimum of 'B' Grade in 'C' Certificate exam of NCC	Para 2(c)
Vacancies	05 +01* *Wards of Battle Casualties	Para 3
Selection Process	Application > Shortlisting > SSB > Medical > Merit List > Joining Letter	Para 10
Shortlisting for SSB (Based on Bonus Marks)	Tentatively First week of Sep 2026	Para 10
Likely Duration and dates for SSB	Max Five days SSB in Nov/Dec 2026 (Choice for SSB Centre & dates open for 14 days in Sep 2026)	Para 10(c)
Medical Standards	As given on www.joinindianarmy.nic.in	Para 11
Pre Commission Training Academy	Officer Training Academy, Chennai	Para 13 & 5(d)
Duration of Training	49 weeks from April 2027	Para 5
Stipend during Training	Rs 56,100 Per month	Para 7(f)
Rank after Training	Lieutenant	Para 7(a)
Salary on Commissioning	CTC approx. 17-18 Lac per annum (Excluding Free Medical cover & Travel to Home town once a year)	Para 7(d)
Type of Commission	Short Service Commission	Para 4(a)
Option for Release	First – After 05 th Year of Service Second – After 10 th Year of Service Third – After 14 th Year of Service	Para 4(a)
Option for Permanent Commission	After 10 Years	Para 4(a)
Primary Arms / Service for Commission	All Arms & Services of IA	Para 6
Release Benefits	Depending on service on release	-



JOIN INDIAN ARMY
NCC SPECIAL ENTRY SCHEME 125TH COURSE (APR 2027):
SHORT SERVICE COMMISSION (NT) FOR WOMEN [SSCW (NCC)-125]
(INCLUDING WARDS OF BATTLE CASUALTIES OF ARMY PERSONNEL)



1. Applications are invited from **unmarried female** (including Wards of Battle Casualties of Indian Army Personnel), for grant of Short Service Commission (Non Tech) as NCC Special Entry in the Indian Army.

2. Eligibility.

(a) **Nationality.** A candidate must either be: (i) A citizen of India, or (ii) A subject of Nepal, or (iii) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India provided that a candidate belonging to categories (ii) and (iii) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) **Age Limit.** For National Cadet Corps (NCC) candidates (including wards of Battle Casualties) **19 to 25 years as on 01 Jan 2027 (born not earlier than 02 Jan 2002 and not later than 01 Jan 2008 both dates inclusive).**

Note. Candidates should note that the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary School Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will only be accepted and no subsequent request for its change will be considered or granted.

IMPORTANT NOTE. Candidates must note that they can appear for **ONLY** one of the Services Selection Board (SSB) interview, either SSCW (NT) (WOMEN)-125 Course (April 2027) as CDSE candidate OR NCC (Spl) Entry-125 Course (WOMEN) (April 2027). Candidates are required to give undertaking to this effect under the declaration part of the online application.

(c) **Educational Qualification and other Criteria.**

(iii) **For NCC 'C' Certificate Holders.**

(aa) **Educational Qualification.** Minimum qualification acceptable is a **Bachelor's Degree or a qualification recognised as equivalent from a recognized University.** Applicants studying in final year are also allowed to apply provided they complete and obtain Graduation Degree before commencement of course. For such candidates the aggregate % scored in first two/three years of three/four year degree course respectively will be considered for shortlisting. It is to be noted that possession of graduate degree is a qualification to apply for the entry and not necessary a qualification to be shortlisted for SSB. The Indian Army reserves the right to shortlist candidates for SSB by applying vacancy to call up ratio based on various filters, as deemed necessary (Refer Para 10(a) of Notification for more details).

(ab) **Service in NCC.** Should have served for minimum two/three years (as applicable) in Senior Division/Wing of NCC.

(ac) **Grading.** Should have obtained minimum of 'B' Grade in 'C' Certificate Exam of NCC. Applicants who are not holding NCC 'C' Certificate or Provisional NCC 'C' Certificate on date of application, are not eligible to apply for the course. Candidates holding Provisional NCC 'C' Certificate on date of application are required to obtain NCC 'C' Certificate before appearing in SSB. **PROVISIONAL NCC 'C' CERTIFICATE WILL NOT BE ACCEPTED AT SSB.**

Note 1. **For the Qualified Graduate Candidates of the Degree Course.** Candidates who have passed the graduation degree course must produce the provisional/ degree certificate by **1st April 2027** to the Directorate General of Recruiting, failing which their candidature will be cancelled.

Note 2. **For the Candidates Studying in the Final Year of Degree Course.** The candidates studying in the final year of graduation, if not already in possession of provisional /degree certificate must submit the proof of passing the graduation degree exam alongwith marksheet of all the semesters by **1st April 2027** to the Directorate General of Recruiting, failing which their candidature will be cancelled. Those who are not able to produce the degree certificate/provisional degree certificate by the specified date will be inducted on **Additional Bond Basis** only on submission of proof of passing graduation degree exam alongwith marksheet of all semesters to the Directorate General of Recruiting by the above specified date.

Note 3. **ALL FINAL YEAR APPEARING CANDIDATES WHOSE FINAL YEAR/ FINAL SEMESTER EXAM WILL BE SCHEDULED AFTER 01 APRIL 2027 ARE NOT ELIGIBLE TO APPLY FOR THIS COURSE.**

Note 4. Candidates, who have yet to pass their graduation degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates who have yet to qualify in the final year Degree Examination and are allowed to appear for SSB, should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing Graduation Degree Examination alongwith all marksheets of Graduation Degree Examination by the above prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other grounds whatsoever.

(ii) **For Wards of Battle Casualties of Indian Army Personnel.**

(aa) **Eligibility Criteria.** The vacancies under wards of battle casualties are available to wards (unmarried sons and unmarried daughters including legally adopted) of Army Battle casualties specified as:-

- (aaa) Killed in action.
- (aab) Died of wound or injuries (Other than self-inflicted).
- (aac) Wounded or Injured (Other than self-inflicted).
- (aad) Missing, presumed dead.

(ab) **Educational Qualification.** Graduate Degree from a recognized University. Applicants studying in final year are also allowed to apply provided they complete and obtain Graduation Degree before commencement of course. For such candidates the aggregate % scored in first two/three years of three/four year degree course respectively will be considered for shortlisting. It is to be noted that possession of graduate degree is a qualification to apply for the entry and not necessary a qualification to be shortlisted for SSB. The Indian Army reserves the right to shortlist candidates for SSB by applying vacancy to call up ratio based on various filters, as deemed necessary.

(ac) NCC 'C' certificate **NOT** required for Wards of Battle Casualties.

(ad) **Details of Documents to be provided in the Application Form.**

(aaa) The '**Battle Casualty**' certificate Number issued by Manpower (Policy & Planning) Directorate (MP Dte) certifying that the parent has been killed/wounded/reported missing in action.

Note:- Battle casualty certificate issued by respective Record Offices is valid for casualties prior to Sep 2013. For casualties since Sep 2013, battle casualty certificate should have been issued by Adjutant General's Branch Manpower (Policy & Planning)-5(D).

(aab) A copy of Manpower (Policy & Planning) Directorate (MP Dte)/Respective Regimental Records Part II Order Number. notifying injuries and being classified as 'Battle Casualty'.

(aac) **Relationship Certificate Number issued by Manpower (Policy & Planning) Directorate 5 & 6 / Respective Regimental Records.**

Note. Applications will be submitted online by wards of battle casualties with details of documents mentioned as at Paragraph 9 (b) below. However, they will carry all documents at the time of SSB interview in original. Incomplete documents will be summarily rejected by the Selection Centre and no representation in this regard will be entertained or replied.

3. **Vacancies.**

(a) **NCC Women** 06 (05 for General Category and 01 for Wards of Battle Casualties of Indian Army personnel only).

Note: The Indian Army Publishes/Notifies vacancies separately for each Entry as well as each Gender (Male and Female) based on the operational and administrative needs of the Force as envisaged in the existing and future scenarios. The process of application, SSB shortlisting (Cut-off), Selection and merit of each Entry and each Gender (Male & Female) is independent and not related or dependent. The same is purely based on notified vacancies and driven by applications received against notification for the particular course.

4. **Terms and Conditions of Service.**

(a) **Tenure of Engagement.** Offrs (Female) shall be liable to serve for ten years. The tenure of ten years of service, however, may be extendable by a further period of four years subject to their opting for the same and found eligible and suitable for extension of service as per terms of engagement issued from time to time. Officers who are desirous of seeking Permanent Commission (PC) may considered for the same in the 10th years of service in accordance with the eligibility and suitability as per terms of engagement issued from time to time. Those Offrs (Female) seeking PC but are not granted the same, may opt for extension of service. Offrs found eligible and suitable for grant of extension of service as per terms of engagement issued from time, may be granted extension for a period of four years on expiry of which they will be released from the Army.

(aa) **Special Provision for Release on Completion of 5th Year of Service.** SSCOs (Female Officers), other than those who have undergone or are undergoing any other specialised course of such nature , who are desirous of leaving the service after completion of five years service may, during the fifth year of service, apply to the Army HQs for release. Army HQ will consider the applications of such officers on merits and the decision of the Army HQ will be final and irrevocable. On approval such officers will be released from service on completion of 5th year of service. Those SSCOs (Female Officers) who have undergone or are undergoing any other specialised course of such nature, will not be released before expiry of full tenure of 14 years unless the cost of training of such specialised course as prescribed is recovered from them. They will be required to execute a bond to this effect on being nominated for undertaking specialised course of such nature.

(ab) **Special Provision during Extended Tenure.** During extended tenure, they will be permitted to seek release from the Army on the following grounds:-

- (i) Taking up civil job.
- (ii) Pursuing higher education.
- (iii) Starting own business/ joining family business.

(b) **Period of Probation.** An officer will be on probation for a period of six months from the date he/she receives his/her commission. If he/she is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his/her commission, his/her services may be terminated any time whether before or after the expiry of the probationary period.

(c) **Ante Date Seniority.** No ante date seniority will be granted.

(d) **Termination of Commission.** An officer granted Short Service Commission will be liable to serve for ten years but his/her Commission may be terminated at any time by the Government of India for:-

- (i) Misconduct or if his/her services are found to be unsatisfactory, or
- (ii) On account of medical unfitness, or
- (iii) If his/her services are no longer required, or
- (iv) If he/she fails to qualify in any prescribed test or course.

(v) An officer may on giving three months notice be permitted to resign his/her commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his/her commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(e) **Reserve Liability.** Short Service Commission Officers on release before or expiry of contractual length of service will carry reserve liability to serve Indian Army for five years plus two years on voluntary basis or up to the age of 37 years for women whichever is earlier.

5. Training. Duration of training is 49 weeks at Officers Training Academy (OTA), Chennai.

(a) The minimum physical standards that a candidate must acquire before joining training academy, are as follows:-

SN	Activity	Minimum physical standards
		Officer Cadets (Women)
(i)	2.4 Km Run	13 Minutes
(ii)	Push Up	15
(iii)	Pull Up	02
(iv)	Sit Up	25
(v)	Squats	Two Set of 30 Repetitions
(vi)	Lunges	Two Set of 10 Repetitions
(vii)	Swimming	Should know Fundamentals of swimming

(b) Selected candidates will be detailed for Pre-Commission training at OTA, Chennai according to their position in the final order of merit, up to the number of available vacancies, subject to meeting all eligibility criteria.

(c) Candidates will neither be allowed to marry during the period of training nor will he/she be allowed to live with parents/guardians. Candidates must not marry until they complete the full training at OTA. A candidate, who marries subsequent to the date of his/her application, though successful at the SSB interview or medical examination, will not be inducted for training. A candidate if he/she marries, while under training, shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him/her by the Government. It is also applicable to the wards of Battle Casualties of Army Personnel.

(d) All candidates who successfully complete Pre-Commission training at OTA, Chennai will be awarded '**Post Graduate Diploma in Defence Management and Strategic Studies**' by University of Madras.

(e) **Cost of Training.** The entire cost of training at OTA is at Government expense. In case the Officer Cadet is withdrawn from training academy due to reasons other than medical ground or the reasons not beyond his/her control, he/she will be liable to refund cost of training @ ₹ 20,482/- per week (**as on 2026**) and as notified from time to time (for the period of candidate's stay at the Officers Training Academy, Chennai/Cadet Training Wing). The cost of training is born by State, will be recovered from cadets withdrawing for personal reasons.

6. The final allocation of Arms/Services will be made prior to passing out of Gentlemen /Lady cadets from OTA.

7. **Promotion Criteria and Salary Structure.**

(a) **Promotion Criteria.**

Rank	Promotion Criteria
Lieutenant	On commission
Captain	On completion of 2 years reckonable commissioned service.
Major	On completion of 6 years reckonable commissioned service.
Lieutenant Colonel	On completion of 13 years reckonable commissioned service.
Colonel (TS)	On completion on 26 years reckonable commissioned service.
Colonel	On selection basis subject to fulfillment of requisite service conditions
Brigadier	
Major General	
Lieutenant General/HAG Scale	
HAG + Scale (*Admissible to 1/3 rd of total strength of Lieutenant General)	
VCOAS/Army Commander / Lieutenant General (NFSG)	
COAS	

(b) **Adjustment of Seniority.** To make adjustment for shorter training of SSCOs vis-à-vis PC officers, the seniority of SSCOs will be depressed by the period corresponding to the difference in training period between the SSC course under consideration and the training period of its equivalent PC Course. This adjustment of seniority will be carried out at the time of grant of first substantive rank of Captain.

(c) **Reckonable Commissioned Service.** Subject to provision of Para 7 (b) above, reckonable commissioned service for the purpose of these orders will count from the date of grant of Short Service Commission to an officer. The period of service forfeited by sentence of Court Martial or any summary award under the Army Act and the period of absence without leave will not be reckonable. The period during which furlough rates of pay are drawn and the period of captivity at POWs rates of pay will be reckonable. The period of service for promotion lost by an officer in consequence of his/ her having been granted leave without pay will also be reckonable. Such an officer will, however, become entitled to the pay and allowances of the higher substantive rank granted by the inclusion of this period only from the date on which he/ she would have qualified by service if this period had not been so reckoned and not with effect from the date of grant of substantive rank.

(d) **Pay.**

Rank	Level	(Pay in ₹)
Lieutenant	Level 10	56,100 - 1,77,500
Captain	Level 10B	61,300 - 1,93,900
Major	Level 11	69,400 - 2,07,200
Lieutenant Colonel	Level 12A	1,21,200 - 2,12,400
Colonel	Level 13	1,30,600 - 2,15,900
Brigadier	Level 13A	1,39,600 - 2,17,600
Major General	Level 14	1,44,200 - 2,18,200
Lieutenant General HAG Scale	Level 15	1,82,200 - 2,24,100
Lieutenant Gen HAG+Scale	Level 16	2,05,400 - 2,24,400
VCOAS/Army Commander/ Lieutenant General (NFSG)	Level 17	2,25,000/-(fixed)
COAS	Level 18	2,50,000/-(fixed)

(e) **Military Service Pay (MSP).** MSP to the officers from the rank of Lieutenant to Brigadier ₹ 15,500/- p.m. fixed.

(f) **Fixed Stipend for Cadet Training.**

Stipend to Gentlemen or Lady Cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at OTA.	₹ 56,100/-p.m.*
---	-----------------

***On successful commissioning, the pay in the Pay Matrix of the Officer Commissioned shall be fixed in first Cell of Level 10 and the period of training shall not be treated as commissioned service and arrears on account of admissible allowances, as applicable, for the training period shall be paid to cadets.**

(g) **#Other Allowances.**

Dearness Allowance	Admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian personnel from time to time
Para Reserve Allowance	₹ 2625/-*pm
Technical Allowance (Tier-I)	₹ 3000/-pm
Technical Allowance (Tier-II)	₹ 4500/-pm

(h) **#Depending upon rank and area of posting, officers posted to Field Areas will be eligible for the following Field Area allowances:-**

RH Max Offr Rs. 42500*/- Siachen Allowance	HARDSHIP		
	HIGH	MEDIUM	LOW
HIGH	R1H1 Offrs-Rs. 25000* - Flying Allowance - MARCOS & Chariot Allowance - Special Forces Allowance - Submarine Allowance - COBRA Allowance - High Altitude Allowance-Cat III	R1H2 Offrs-Rs. 16900* - HAFA Allowance - CI (fd) Allowance (CI Mod Fd @77% CI Fd)	R1H3 Offrs-Rs. 5300* - Hosp Patient Care Allowance (HPCA) - Patient Care Allowance (PCA) - Test Pilot Firt Engr Allowance
MED	R2H1 Offrs-Rs. 16900*	R2H2 Offrs-Rs. 10500* - Fd Area Allowance (Mod FD Area @ 60% of Fd Area Allowance) - CI (Peace) allowance - Sea going Allowance - Free Fall Jump instr Allowance - Para Jump Instr Allowance - Para Allowance	R2H3 Offrs-Rs. 3400*
LOW	R3H1 Offrs-Rs. 5300* - High Altitude Allowance-Cat II - Tough location Allowance-I - Boiler watch keeping Allowance - Submarine duty Allowance	R3H2 Offrs-Rs. 3400* - High altitude Allowance-Cat I - Tough location Allowance-II - Project Allowance - Compensatory (Const or Svy) Allowance - Hydro Svy Allowance (except non-surveyors)	R3H3 Offrs-Rs. 1200* - Tough location Allowance-III - Cooking Allowance - Hardlying money (full rate) - Health and malaria Allowance - Special LC Gate Allowance - Submarine Tech Allowance - Hydro Svy Allowance (for-surveyors)

* The rates of allowances would be enhanced by 25% automatically each time the DA goes up by 50%

These allowances at Para 7(g) and 7(h) are applicable strictly as per the laid down qualification/ eligibility conditions and are not entitled to everyone.

- (j) **Dress Allowance**. ₹ 20,000/-* per year.
- (k) **Ration in Kind**. In Peace and Field Areas.
- (l) **Transport Allowance (TPTA)**.

Pay Level	Higher TPTA Cities (Per month)	Other Places (Per month)
10 and above	₹ 7200+DA thereon	₹ 3600+DA thereon

Note.

(i) **Higher TPTA Cities (UA)**. Hyderabad, Patna, Delhi, Ahmadabad, Surat, Bengaluru, Kochi, Kozhikode, Indore, Greater Mumbai, Nagpur, Pune, Jaipur, Chennai, Coimbatore, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Kolkata.

(ii) The allowance shall not be admissible to those Service personnel who have been provided with the facility of Government transport.

(iii) Officers in Pay Level 14 and above, who are entitled to use official car, will have the option to avail official car facility or to draw the TPTA at the rate of ₹ 15,750+DA thereon.

(iv) The allowance will not be admissible for the calendar month(s) wholly covered by leave.

(v) Physically disabled service personnel will continue to be paid at double rate, subject to a minimum of ₹ 2,250+ DA p.m.

(m) **Children Education Allowance (CEA)**. ₹ 2,250/-* per month per child for two eldest surviving only from three classes before class one to 12th Class.

(i) Reimbursement should be done just once a year, after completion of the financial year (which for most schools coincides with the Academic year).

(ii) Certificate from the head of institution where the ward of government employee studies should be sufficient for this purpose. The certificate should confirm that the child studied in the school during the previous academic year.

Note 1. In the case of allowances specific to Indian Armed Forces, the rates of these allowances would be enhanced by 25% automatically each time the Dearness Allowance payable on the revised pay band goes up by 50% (Gol letter No A-27012/02/2017-Estt.(AL) dated 16 Aug 2017).

Note 2. Please note that pay & allowances and rules/provisions thereof are subject to revision from time to time.

(n) **Hostel Subsidy.** ₹ 6,750/-* per month per child for two eldest surviving only for three classes before class one to 12th Class.

* The rates of allowances would be enhanced by 25% automatically each time the DA goes up by 50%.

8. **Army Group Insurance Fund (AGIF).** The Gentlemen/Lady Cadets when in receipt of stipend are insured for ₹ 1.25 Cr as applicable to officers of the regular Army. Monthly AGIF subscription at the rate of ₹ 12,500/- will have to be paid in advance by Gentlemen/Lady Cadets to become member under the AGI Scheme as applicable to regular Indian Army officers. **For those who are invalidated out by Invalidating Medical Board (IMB) on account of disability and not entitled to any pension will be provided ₹ 25 lakhs for 100 percent disability. This will be proportionately reduced to ₹ 5 lakhs for 20 percent disability.** However, for less than 20 percent disability, an Ex-Gratia Grant of ₹ 50,000/- only will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, Gentlemen/Lady Cadets withdrawn on disciplinary grounds, expelled as undesirable or leaving the Academy voluntarily will not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia.

9. **How to Apply.**

(a) Applications will only be accepted online on website **www.joinindianarmy.nic.in**. Click on '**Officer Entry Application/Login**' and then click '**Registration**' (Registrations not required, if already registered on **www.joinindianarmy.nic.in**). Fill the online registration form after reading the instructions carefully. After getting registered, click on '**Apply Online**' under Dashboard. A page 'Officers Selection - '**Eligibility**' will open. Then click '**Apply**' shown against Short Service Commission NCC Special Entry Course. A page '**Application Form**' will open. Read the instructions carefully and click '**Continue**' to fill details as required under various segments. Personal information, Communication details, Education details and details of previous SSB. '**Save & Continue**' each time before you go to the next segment. After filling details on the last segment, you will move to a page '**Summary of your information**' wherein you can check and edit the entries already made. Only after ascertaining the correctness of all your details, click on '**Submit**'. Candidates must click on '**Submit**' each time they open the application for editing any details. The candidates are required to take out two copies of their application having Roll Number, 30 minutes after final closure of online application on last day.

CANDIDATES ARE ADVISED TO READ THE NOTIFICATION CAREFULLY AND THEN FILL UP ONLINE APPLICATION FORM TO AVOID MISTAKES, AND THEREBY REJECTION OF APPLICATION.

Important Note 1. No changes to details submitted in online application can be made after closure of application. No representation in this regard shall be entertained.

Important Note 2. CGPA/Grades must be converted into Marks as per the formulae adopted by the concerned University for filling 'Marks obtained in Graduation' in online application. Any discrepancy observed at any stage of selection process will lead to cancellation of candidature.

Important Note 3. Candidate's name/parent's name (father & mother)/ date of birth in the profile and online application must be as per matriculation /Secondary School Examination certificate or equivalent certificate issued by the concerned Board of education. Variation in above details will lead to cancellation of the candidature.

(b) **Originals alongwith self attested** copy of following documents are to be carried to the Selection Centre by the candidates:-

DIGILOCKER Certificate will not be accepted in lieu of ORIGINAL CERTIFICATES.

(i) One copy of the print out of application duly signed and affixed with self attested photograph.

(iv) Matriculation/Secondary School Examination Certificate or equivalent certificate and Mark Sheet issued by the concerned Board of Education.

Note 1. Matriculation/Secondary School Examination Certificate or equivalent certificate issued by the concerned Board of Education will only be accepted as proof of date of birth, candidate's name and parent's name (father & mother). No other document like Admit card/ Mark Sheet/Transfer certificate etc are acceptable.

Note 2. In case parent's name (father & mother) is not mentioned in Matriculation/Secondary School Examination certificate or equivalent certificate, the candidate is required to produce any document issued by Govt of India or States Govt such as PAN card, Aadhaar card, Passport, Driving licence etc for verification. However, candidate's name and their parent's name filled in online application must match exactly with those mentioned in the produced document.

(iii) 12th Class Certificate & Marks Sheet.

(iv) Graduation Degree/Provisional Degree issued by a recognised university. **Provisional Degree should not be more than six months old as on 01 Apr 2027 (Issued between 01 Oct 2026 to 01 Apr 2027).**

(v) Marks Sheets of all years/semesters.

(vi) **NCC `C' Certificate (Date of issue of NCC `C' Certificate to be on or before the date of submission of online application by the candidate). NCC `C' Certificate is not required from Wards of Battle Casualties.**

(vii) Certificate regarding CGPA conversion to marks (as applicable) and aggregate percentage from the concerned University duly specifying the rules/ conversion criteria/formula in this regard.

(viii) Certificate from the Principal/Head of the Institution stating that the candidate is in final year and his/her result will be declared by **1st of April 2027** (only for final year appearing candidates).

(ix) Declaration by the candidate of final year degree course that he/she will submit the proof of passing by **1st of April 2027** to Directorate General of Recruiting, failing which his/her candidature will be cancelled.

(x) **The Wards of Battle Casualties will also submit the documents mentioned at Para 2 (c) (ii) (ad) in addition to the documents mentioned above.**

(c) **Any candidate who does not carry the above documents in ORIGINAL for the SSB interview, his/ her candidature will be cancelled and he/she will be returned.**

(d) **All certificates in original to be carried by the candidates for SSB interview for verification.** Originals will be returned after verification at the SSB itself. **DIGILOCKER Certificates will NOT be accepted in lieu of original.**

(e) DIGILOCKER Certificate will not be accepted in lieu to ORIGINAL Certificates. In case any School/College does not issue Certificate in hard/physical format, a certificate must be obtained from the School/College (principal/Registrar) to that effect stating that only e-certificates has been issued through DIGILOCKER and no hard copy has been provided. In such cases, candidates must produce a colour printout of the e-certificate, duly authenticated by the concerned School/College or University.

(f) The second copy of the printout of online application is to be retained by the candidate for reference. **There is no need to send any hard copy to Directorate General Recruiting.**

(g) **Candidates must submit only one online application. Receipt of multiple applications from the same candidate will result in cancellation of candidature, and NO representation will be entertained in this regard.**

(h) Candidates serving in the Indian Armed Forces are required to inform their Commanding Officer in writing that they have applied for this examination. Applications of candidates serving in the Armed Forces, duly countersigned by the Commanding Officer should be taken alongwith all other documents as stated above to the SSB interview as and when called for the same.

10. Selection Procedure. The selection procedure is as follows:-

(a) **Shortlisting of Applications.** Shortlisting of applications for SSB will be based on award of bonus marks out of max 100 marks for 'Performance in NCC 'C' Certificate and 'Grad Marks'. The details are as under:-

(i) **Bonus Marks for Performance in NCC 'C' Cert.** Max 50 marks will be awarded for performance in NCC 'C' Cert as under:-

(aa) A Grade in NCC 'C' Cert - 50 Marks

(ab) B Grade in NCC 'C' Cert - 25 Marks

(ii) **Bonus Marks for Performance in Graduation (Marks).** Max 50 Marks will be awarded for performance in academics i.e. overall aggregate Graduation, the aggregate marks (percentage) scored in first two/three years of three/four year degree course respectively, will be considered. The bonus marks awarded will be as under:-

(aa)	Upto 60%	-	Nil
(ab)	60.00 to 64.99%	-	05 Marks
(ac)	65.00 to 69.99%	-	10 Marks
(ad)	70.00 to 74.99%	-	20 Marks
(ae)	75.00 to 79.99%	-	30 Marks
(af)	80.00 to 84.99%	-	40 Marks
(ag)	85.00 to 100.00	-	50 Marks

E.g. 1 Candidate with 78% in Graduation but 'B' Grading in NCC C Certificate will be awarded $30 + 25 = 55$ Bonus marks.

E.g. 2 Candidate with 72% in Graduation but 'A' Grading in NCC C Certificate will be awarded $20 + 50 = 70$ Bonus marks.

Note 1 Candidate studying in final year of Graduation should note that the aggregate marks (%) scored after completion of Graduation should be same or higher than that achieved in first two/three years of degree course i.e. used at the time of application, failing which their candidature will be cancelled.

(iii) **Vac to Call up Ratio.** A merit will be prepared after award of Bonus Marks as per criteria given in para (i) and (ii) above. Candidates will then be shortlisted for SSB based on vacancy to SSB Call up Ratio, which will be decided by Dte Gen of Rtg as per organizational requirement. Candidate shortlisted for SSB will be intimated through mail. No intimation will be given to those not shortlisted.

Note 2 The above process of shortlisting will be separate for Men & Women, as per vacs notified and applications recd.

(b) **Selection of SSB Centre and Date.** After Shortlisting of applications, candidates will have to log in to the website and select their SSB Centre & date which are available on a first come first serve basis. SSB Centre and Date once selected will not be changed later. The option to select SSB Centre & SSB date by candidates may be forfeited due to occurrence of any exceptional circumstance/events. Directorate General of Recruiting, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) reserves the right to change SSB Centre and Date once selected.

(c) **Conduct of SSB.** Only shortlisted eligible candidates will undergo SSB at Selection Centres, Prayagraj (Uttar Pradesh), Bhopal (Madhya Pradesh), Bengaluru (Karnataka) and Jalandhar (Punjab). Call up letter for SSB interview will be issued by respective Selection Centre on Candidates' registered e-mail ID and SMS only. Candidates will be put through two stage selection procedure. Those who clear Stage I will go to Stage II. Those who fail in Stage I will be returned on the same day i.e 1st day. Duration of SSB interview is five days and details of the same are available on official website of Directorate General of Recruiting i.e. www.joinindianarmy.nic.in. This will be followed by a medical examination for the candidates who get recommended after Stage II.

(d) **Joining Pre-Commission Training Academy (PCTA).** Candidates recommended by the SSB and declared medically fit, will be issued joining letter for training in the order of merit, depending on the number of vacancies available, subject to meeting all eligibility criteria. Candidature of the candidates will be cancelled if candidate is found to have given wrong information/certificate or has not disclosed relevant information. Being found 'FIT' for joining PCTA does not give any right to candidate to demand joining letter, but is at the discretion of Dte Gen of Rtg as per organizational requirement.

11. **Medical Examination.** Please visit www.joinindianarmy.nic.in for Medical Standards and Procedures of Medical Examination for Officers Entry into Army as applicable. The validity of SSB medical examination is 270 days i.e. SMB to PCTA joining date. Any candidate who has undergone SSB medical (SMB/AMB/RMB) for any SSB of any service and declared 'Med FIT' need not undergo medical examination again after the SSB of SSC(NCC)-125 provided the date of 1st medical (SMB) upto date of joining this course i.e. **01 April 2027** is less than 270 days.

Note. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. Directorate General of Recruiting has no role to play in any Medical Boards and procedure advised by the medical authorities will be strictly adhered.

12. **Entitlement for Travelling Allowance.** Candidates appearing for SSB interview for the first time for a particular type of commission shall be entitled for AC 3-Tier to and fro railway fare or bus fare including reservation-Cum-Sleeper Charges within the Indian Geographical Limits. Candidates who appear again for the same type of commission will not be entitled to travelling allowances on any subsequent occasion. **For any query/clarification regarding admissibility or payment of travelling allowance, the candidates may directly approach the concerned Selection Centre.**

13. **Merit List.** It is to be noted that mere qualifying at the SSB interview does not confirm final selection. Merit list will be prepared on the basis of the marks obtained by the candidate at SSB interview. In case equal SSB marks are obtained by more than one candidate, the older candidate(s) in age will be ranked higher in the merit. In case both SSB marks and age of more than one candidate are same, the candidate(s) with higher percentage of marks in qualifying examination will be placed higher in the merit. Higher educational qualifications, previous performances, etc have no role to play. Those in the merit list and who come within the stipulated vacancies and are medically fit will be issued joining letters for Pre-Commission training at OTA, Chennai, subject to meeting all eligibility criteria.

14. The candidates who fail to report within 07 days from date of reporting their candidature will be cancelled and the next candidate in merit will be considered to fill the vacancy.

15. On joining Indian Army, some of Personal Restrictions in Service will be imposed in accordance with Article 33 of Constitution of India as promulgated in the Army Act and Army Rules from time to time.

Note 1. Any ambiguity/false information/concealment of information detected in the certificates/documents/online application will result in cancellation of the candidature at any stage of selection and thereafter.

Note 2. The candidate should have never been debarred from appearing in any examination by UPSC.

Note 3. The candidate should have never been arrested or convicted by a criminal court or involved in any case. **In case any such issue comes to notice during the selection process or pre-commission training, candidate / cadet will be subject to cancellation of candidature/withdrawal from the Academy by Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army).**

Note 4. Candidates withdrawn from NDA/IMA/OTA/Naval Academy/Air Force Academy or any Service Training Academy on disciplinary ground are not eligible to apply.

Note 5. For all queries regarding allotment of Selection Centres, date of interview, merit list, joining instructions and any other relevant information please visit our website www.joinindianarmy.nic.in. Queries will be replied **ONLY** through 'Feedback/Queries' option available on the Recruiting Website.

Note 6. Please read the Notification, Tickers on website, Joining Instructions and other instructions uploaded on the website thoroughly before submission of queries in 'Feedback/Query' on our website.

Note 7. In order to avoid last hour rush and ensure timely response, queries received upto three days prior to closing of online application will **ONLY** be entertained / replied.

Note 8. In case of any discrepancy between the English and Hindi versions of this notification, the English version shall prevail.

**ONLINE APPLICATION WILL
OPEN ON 21 JULY 2026 AT 1500 HRS AND
CLOSE ON 21 AUGUST 2026 AT 1500 HRS.**